न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 75/2023

वादी :-

1. भगवानराम पुत्र स्व.मिसाराम जाति जाट खोजा निवासी ग्राम बिरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. श्रीमति पपली पत्नी स्व.शेषाराम
2. अशोक कुमार पुत्र स्व.शेषाराम जातियान कुम्हार, निवासीगण ग्राम बिरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादीगण - श्री गिरधारी लाल कंसारा एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 1 से 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 5/2/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त पत्ते पर स्थायी रूप से निवास करते है तथा भारतीय नागरिक है। ग्राम बिरावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की स्थित भूमि खसरा नंबर 297 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम व सोयम व खसरा नंबर 307 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि प्रतिवादीगण सं. 01 के पति व प्रतिवादी सं. 02 के पिता शेषारामजी की 1/4 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी की थी। प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के पति/पिता शेषारामजी के देहांत के बाद उपरोक्त खसरों की भूमि खसरा नंबर 297 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम व सोयम व खसरा नंबर 307 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा किरम बारानी द्वितीय भूमि में जरिए फौतेदगी म्यूटेशन के प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 व उसके पुत्र/भाई धोकलराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जिसके सबूत में प्रतिवादीगण के खातेदारी की जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उपरोक्त खसरा नंबर 297 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम व सोयम व खसरा नंबर 307 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि तें शेषाराम के देहांत के बाद प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 व उनके पुत्रध्भाई धोकलराम का 1ध्12 वां हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण के पुत्रध्भाई धोकलराम ने उपरोक्त खसरान की भूमि में से अपना 1/12 वां हिस्सा वादी भगवानराम को जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा पुस्तक सं. 01, जिल्द सं. 168, पृष्ठ सं. 05 के क्रम सं. 2004001443 दिनांक 28ध्5ध्2004 को उपपंजीयक अधिकारी बिलाड़ा द्वारा पंजीयन किया गया है। वादी के नाम से उपरोक्त खसरान की भूमि के बेचान पंजीयन दस्तावेज की फोटोप्रति संलग्न है। वादी द्वारा उपरोक्त खसरान की भूमि में से प्रतिवादी सं. 01 व 02 के पुत्र/भाई धोकलराम के 1/12 वां हिस्से की भूमि को दिनांक 28/5/2004 को खरीद की गई है, तब से वादी उपरोक्त खसरान की भूमि पर वादी बतौर कब्जाकाश्त करता आ रहा है। वादी ने उपरोक्त खसरान की भूमि को जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीद करने बाद बेचाननामा के जरिए म्यूटेशन स्वीकृ

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

ति के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का को रजिस्ट्री की नकल दे दी गयी थी तथा वादी इसी विश्वास में रहा कि म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया है, इस कारण वादी ने उपरोक्त खरीदसुदा भूमि के राजस्व रेकर्ड की ओर कभी ध्यान नही दिया है। वादी ने अपने नाम से खरीद की गई उपरोक्त कृषि भूमि की जमाबंदी की नकल लेने हेतु दिनांक 10/07/2023 को हल्का पटवारी के पास गये तो हल्का पटवारी ने वादी को बताया कि धोकलराम पुत्र स्व. श्री शेषाराम द्वारा उनके 1/12 वां हिस्से की आप वादी द्वारा खरीद की गई भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीगण सं 01 व 02 के नाम राजस्व रेकर्ड में भूल से, त्रुटिपूर्ण, सेव से दर्ज हो गया है जिसकी जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के पास जाकर निवेदन किया कि मेरे (वादी) द्वारा धोकलराम के 1/12 वां हिस्से की भूमि का हल्का पटवारी द्वारा भूल से, त्रुटिपूर्ण से मेरे (वादी) नाम के स्थान पर आप प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के नाम 1/8 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत दर्ज कर दिया गया, इसलिए आप प्रतिवादीगण तहसील में चलकर मेरे (वादी) के पक्ष में बयान देकर राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दुरस्त करावे। मगर प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 वादी के पक्ष में बयान देने एवं रेकर्ड दुरस्त कराने से बिल्कुल मना कर दिया तथा वादी को झूठे फौजदारी मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। उपरोक्त खसरान की भूमि को वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पुत्र/भाई धोकलराम के 1/12 वां हिस्से की भूमि जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनांक 28/5/2004 को खरीद करने के बाद वादी उपरोक्त खरीद की गई भूमि पर बतौर कामिल मालिक की हैसियत से काबिज चला आ रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 को वादी के नाम से धोकलराम का 1/12 वां हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा कानूनन नहीं है तथा वादी को अपनी खरीदसुदा व कब्जासुदा भूमि के रेकर्ड दुरस्त कर खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश करने का अधिकारी है। वाद घोषणा खातेदारी का होने तथा वादग्रस्त उक्त वर्णित खसरान की भूमि ग्राम बिरावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में स्थित होने से ये दावा माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद बहक प्रतिवादी सं 01 व 02 के विरूद्ध डिक्री किया जावें कि वाद के पैरा संख्या 02 में वर्णित खसरान की भूमि में वादी द्वारा धोकलराम के 1/12 वां बंट व हिस्से की भूमि को जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 28/05/2004 को खरीद के आधार पर वादी के खातेदारी काश्तकार की भूमि घोषित किये जाने का आदेश फरमावें। वाद के पैरा सं. 02 में वर्णित खसरान की भूमि का प्रतिवादी सं 01 व 02 के नाम से त्रुटिपूर्ण एवं गलत राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उनके हिस्से तक का आंशिक हिस्से तक राजस्व रेकर्ड में दूरस्त फरमाया जावें। वाद के पैरा सं. 02 में वर्णित खसरान की भूमि का प्रतिवादी सं 01 व 02 द्वारा किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण नही करने एवं वाद के निस्तारण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी सं. 01 व 02 के विरूद्ध जारी की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिरावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में वादी एवं प्रतिवादीगण के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें खसरा नंबर 297 रकबा 37-12 बीघा व खसरा नंबर 307 रकबा 12-00 बीघा 7 बिस्वा है। उपरोक्त खसरा नम्बरान में वादीगण भगवानराम का 1/4 हि. एवं प्रतिवादीगण अशोककुमार पुत्र शेषाराम एवं ज्योतिदेवी पत्नी अशोक कुमार का 1/8-1/8 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम पति/पिता शेषाराम के देहान्त के बाद विरासत नामा. के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए है। पद सं. 1 में वर्णित खसरा नम्बरान में विरासत नामा. के जरिये प्रतिवादीगण 1 व 2 के साथ उनके पुत्र/भाई धोकलराम का नाम 1/12 हिस्से में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। धोकलराम द्वारा अपना 1/12 हिस्सा उपरोक्त दोनों खसरा नंबरान में से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 28.05.2004 को वादी भगवानराम पुत्र मिसाराम को बैचान कर दिया था जिसका नामा. सं. 579 भरा गया था जो ग्राम पंचायत घाणामगरा द्वारा स्वीकृत भी किया गया था वादी द्वारा खरीद की गई भूमि का अमलदरामद पुरानी जमाबंदी चौसाला में तो हुआ था लेकिन नई ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय वादी का खरीदसुदा 1/12 हि. दर्ज न होकर पुनः बैचानकर्ता के भाई एवं मां के हिस्से में समाहित हो गया जो सही नहीं है। उसके बाद प्रतिवादी ने अपनी माता का हिस्सा अपनी पत्नी को गिफ्ट करवा दिया जो आज वर्तमान जमाबंदी चौसाला में ज्योतिदेवी पत्नी अशोककुमार के नाम दर्ज है। वादी भगवानराम का खरीदसुदा 1/12 हि. प्रतिवादीगण अशोककुमार के 1/8 हिस्से व प्रतिवादी सं. 1 की पुत्रवधु ज्योतिदेवी के 1/8 हिस्से में समाहित है। उसमें से 1/12 हिस्सा कम किया जाकर वादी को दिया जा सकता है। वर्तमान जमाबंदी चौसाला संवत् 2076-2079 के खाता सं. 238 की क्र. सं. 1 व 3 में दर्ज हिस्सा 1/8-1/8 व खाता सं. 273 की क्र.सं. 1 व 3 में दर्ज 1/8-1/8 हिस्सा को कम किया जाकर इनका दोनों खातों में हिस्सा 1/12-1/12 दर्ज किया जाना उचित रहेगा। तथा वादी भगवानराम का दोनों खसरों में पूर्व में दर्ज हिस्सा 1/4-1/4 में 1/12-1/12 हिस्सा मर्ज होकर अब वर्तमान में वादी का दोनों खातों में हिस्सा 1/3-1/3 दर्ज होगा। तथा प्रतिवादीगण का 1/12-1/12 हिस्सा रहेगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पूर्व में पद सं. 1 में वर्णित खसरा नंबरान की भूमि में से धोकलराम के 1/12 हिस्सा की भूमि जो रजिस्टर्ड बैचाननामा खरीद की थी। उसमें वादीगण की खातेदारी घोषित किये जाने में भूमिधारी सहमत है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम बीरावास के वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 297 व खसरा नंबर 307 पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 के पति व प्रतिवादी सं. 2 के पिता शेषाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार इन्द्राज थी। शेषाराम के फौत के बाद वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 व धोकलराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। प्रतिवादीगण 1 व 2 के पुत्र/भाई धोकलराम ने उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में से अपना 1/12 वां हिस्सा वादी भगवानराम को जरिए रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 28.05.2004 को बैचान कर दिया गया। जिसका नामा.सं. 579 भरा गया था जो ग्राम पंचायत घाणामगरा द्वारा स्वीकृत किया गया था। वादी द्वारा खरीद की गई भूमि का अमलदरामद पुरानी जमाबंदी चौसाला में तो हुआ था लेकिन नई ऑनलाइन जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय वादी का खरीदसुदा 1/12 हिस्सा दर्ज न होकर पुनः बैचानकर्ता के भाई एवं मां के हिस्से में समाहित हो गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उसके बाद प्रतिवादी ने अपनी माता का हिस्सा अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया जो आज वर्तमान जमाबंदी चौसाला में ज्योतिदेवी पत्नी अशोककुमार के नाम से इन्द्राज है। वादी के उक्त वाद का प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर कोई खण्डन नहीं किया गया है एवं न ही कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिस पर वादी की साक्ष्य अखण्डित रही है। अतः वादी के वाद पत्र तथा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों से वादी यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पुत्र/भाई ने वादी के पक्ष में बैचाननामा निष्पादित किया व भूमि का कब्जा सुपुर्द किया तथा खरीदसुदा भूमि पर वादी काबिज काश्त है। वादी भूमि के खरीद के आधार पर अपनी खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादी को रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने की भूमिधारी द्वारा सहमति प्रदान की गई है। वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बिरावास तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 297 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नंबर 307 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा में से धोकलराम के 1/12 हिस्सा रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर वादी की खातेदारी घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/2/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-
भगवानराम पपली वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- 75/2023

निर्णय **दिनांक** :- 5/2/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री गिरधारी लाल कंसारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बिरावास तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 297 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नंबर 307 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा में से धोकलराम के 1/12 हिस्सा रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर वादी की खातेदारी घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - **मुबलिग** - **बाबत्** -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5/2/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा